

FORM-I

(for linear projects)

Government of Rajasthan

Office of the District Collector, Bikaner

No. F.8-1() Revenue/Forest/Diversion/14/ 3911

Dated.....2.8.16.....

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **35.4291 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **Rajasthan Rajya Vidhyut Prasaran Nigam Limited** for **132 KV S/C Nokha Daiya-Khajuwala Transmission line in Bikaner district** falls within jurisdiction of **Bikaner**.

It is further certified that:

- the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **35.4291 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure A to annexure
- the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;
- the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: AS above

ds
(VED PRAKASH)
District Collector
9c Bikaner

No. F.8-1() Revenue/Forest/Diversion/14/ 3912-13

Dated.....2.8.16.....

Copy forwarded to :

- DFO (Territorial), Chhattargarh
- DFO (Stage-II), Bikaner

ds
District Collector
Bikaner
9c

कार्यालय जिला कलक्टर, बीकानेर

क्रमांक : एफ.8-1()राजस्व/वन/प्रत्या./14/ '3867 -A

दिनांक : 29.07.2016

बैठक का कार्यवाही विवरण

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं.8बी/राज/06/19/2015/एफ.री/201 दिनांक 2.6.2015 एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (अनुभाग-3) राज. जयपुर की आज्ञा क्रमांक: प. 6(14)प्रसु/अनु-3/2008(1) दिनांक 14.3.2008 द्वारा अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं एवं नियम 2008 द्वारा गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक आज दिनांक 29.07.2016 को प्रातः 11.00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में कार्यालय के सभाकक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित अधिकारीगण एवं सदस्यगण उपस्थित हुए :-

- | | |
|--|-------|
| 1. श्री बी.एल. मेहरड़ा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बीकानेर | सदस्य |
| 2. डा. शलभ कुमार, उप वन संरक्षक, बीकानेर | सदस्य |
| 3. श्रीमती निपुण, सदस्य जिला परिषद, बीकानेर | सदस्य |
| 4. श्रीमती सुनीता नायक, सदस्य जिला परिषद, बीकानेर | सदस्य |

बैठक में अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत निम्नांकित प्रकरण विचारार्थ रखे गये :-


- 0.126076 है. एस्सार ऑयल लि. रिटेल आउटलेट बीकानेर - सूरतगढ रोड़ (एनएच 15) बिटविन चेन्ज 91/961.00 - 92/006.00 मु.नं. 104/64 कि.नं. 14/1(बिस्वा 15/2,16/1, 17/1, 23/1, 24/1 एवं 25) चक 1 बीएचडी तहसील लूणकरणसर
- 132 केवी एस/सी नोखा दैया-खाजूवाला पारेषण लाईन

उपर्युक्त प्रयोजनार्थ उपखण्ड स्तरीय समिति, लूणकरणसर, पूगल व खाजूवाला द्वारा ग्राम सभा की अनुज्ञा के आधार पर अनुमोदन किया जा चुका है।

अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पराम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (1) के अन्तर्गत एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उक्त प्रस्तावित वन भूमि पर कोई दावे लम्बित नहीं है। अतः बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने उक्त भूमि पर कोई दावा लम्बित नहीं होने के कारण अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पराम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम

2008 के अन्तर्गत वन क्षेत्र में पड़ने वाली उपर्युक्त प्रकरणों की भूमि पर निर्माण हेतु सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की गई।


अतः उक्त प्रकरणों में अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के तहत अनापति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु सर्वसम्मति से अभिशंषा की जाती है।


श्री बी.एम. मेहरडा,
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, बीकानेर


वेद प्रकाश
जिला कलक्टर
बीकानेर


श्रीमती निपुण
सदस्य, जिला परिषद
बीकानेर


डा. शलभ कुमार,
उप वन संरक्षक
बीकानेर


श्रीमती सुनिता नायक
सदस्य, जिला परिषद
बीकानेर

क्रमांक : एफ.8-1()राजस्व/वन/प्रत्या./14/ 3867(8) - 3867 (8) दिनांक : 29.07.2016
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बीकानेर
2. प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा, कार्यालय हाजा
3. उप वन संरक्षक, बीकानेर
4. प्रोजेक्ट डायरेक्टर एवम् अधीक्षण अभियंता, सानिवि, राउमावि वृत्त, बीकानेर
5. अधिशाषी अभियंता, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, बीकानेर
6. संभाग प्रबंधक, एस्सार ऑयल लि, जयपुर
7. श्रीमती निपुण/सुनिता/ सदस्य, जिला परिषद, बीकानेर


अति.जिला कलक्टर
(प्रशासन) बीकानेर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी पूगल जिला बीकानेर

क्रमांक :- एसडीओ / पूगल/ 2016 / 2006

दिनांक:- 20/6/16

आज दिनांक 20/06/2016 को उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक आहूत की गई जिसमें वन क्षेत्र में पड़ने वाले 132 केवी एस/सी नोखा दैया - खाजूवाला ट्रांसमिसन लाईन के निर्माण के लिए ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव के आधार पर उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव को निम्ननुसार सर्वसम्मति से पारित किया जाता है।

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारियों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (2) के एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उक्त प्रस्तावित वन भूमि पर कोई दावे लम्बित नहीं हैं तथा कोई अनुसूचित जनजाति और आदिम निवासी खेती, आवास या अन्य किसी भी आजीविका के लिए इसका उपयोग नहीं कर रहा है तथा किसी अनुसूचित जनजाति और आदिम निवासी को भूमि में कोई व्यक्तिगत वन अधिकार प्रदत्त नहीं किया गया है इसलिए 132 केवी एस /सी नोखा दैया- खाजूवाला ट्रांसमिसन लाईन के निर्माण के लिए वन विभाग के गांव पूगल की 3.1588 हेक्टर वन भूमि, भनिपुरा की 3.7895 हेक्टर वन भूमि एवं पहलवान का बेरा की 2.5468 हेक्टर वन भूमि के विपथन प्रस्ताव को जिला स्तरीय समिति को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जाने की अनुशानसा की जाती है।

20.6.16

उपखण्ड अधिकारी

पूगल
उपखण्ड अधिकारी
पूगल (बीकानेर)

(सदस्य)
रिहाजीरिह

(सदस्य)

2016

क्षेत्र वन अधिकारी

682 आर० डी०

(सदस्य)

20/06/16

विकास अधिकारी

खाजूवाला

(सदस्य)

शारीफ

विषय : -- 132 केवी एस /सी नोखा दैया- खाजूवाला ट्रांसमिसन लाईन के निर्माण हेतु गांव पूगल, भनिपुरा एवं पहलवान का बेरा की वन भूमि के विपथन के संबंध में आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण

राजस्थान राज्य विधुत प्रसारण निगम द्वारा 132 केवी एस /सी नोखा दैया- खाजूवाला ट्रांसमिसन लाईन के निर्माण हेतु तहसील पूगल के गांव पूगल में 3.1588 हेक्टेयर वन भूमि , भनिपुरा में 3.7895 हेक्टेयर वन भूमि एवं पहलवान का बेरा में 2.5468 हेक्टेयर वन भूमि के विपथन प्रस्ताव के संबंध में दिनांक 20/06/2016 को उपखण्ड कार्यालय में बैठक का आयोजन रखा गया जिसमें उपखण्ड अधिकारी चेयरपर्सन एवं निम्न सदस्य उपस्थित रहे ।

1. विकास अधिकारी, खाजूवाला
2. सहायक वन संरक्षक, भीकानेर / रंजर, 682 अरु डी.डी.
3. श्री सिद्धार्थ सिंह, पूगल
4. श्री अब्दुलमान, पूगल
5. श्री नरेन्द्र शरण, पूगल
6. श्री शरीफ अली, पहलवान का बेरा
- 7.
- 8.

शरीफ

बैठक कार्यवाही आरम्भ किये जाने के परचात गौर वन उददेश्य के लिए बीकानेर टेरिटोरियल वन विभाग के गांव पूगल में 3.1588 हेक्टेयर वन भूमि , भनिपुरा में 3.7895 हेक्टेयर वन भूमि एवं पहलवान का बेरा में 2.5468 हेक्टेयर वन भूमि के विपथन प्रस्ताव के संबंध में राजस्थान राज्य विधुत प्रसारण निगम लिमिटेड , बीकानेर द्वारा प्रस्तुत किये गये केस अर्थात 132 केवी एस /सी नोखा दैया- खाजूवाला ट्रांसमिसन लाईन के निर्माण पर तथा ग्राम सभा अनुज्ञानाओं का अवलोकन किया जाकर विपथन प्रस्ताव के उददेश्य के संबंध में विस्तारपूर्वक चर्चा की गई । उक्त प्रस्ताव के संबंध अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के सभी खण्डों पर बैठक में विचार विमर्श किया गया । उक्त वन भूमियों का विपथन प्रस्तावित 132 केवी एस /सी नोखा दैया- खाजूवाला ट्रांसमिसन लाईन के निर्माण के संबंध में किया जाना है तथा कोई अनुसूचित जनजाति और आदिम निवासी , खेती आवास या अन्य किसी भी आजीविका के लिए इसका उपयोग नहीं कर रहा है तथा किसी अनुसूचित जनजाति और आदिम वनवासी को भूमि में कोई व्यक्तिगत वन अधिकार प्रदत्त नहीं किया गया है इसलिए गौर - वन उददेश्य 132 केवी एस /सी नोखा दैया- खाजूवाला ट्रांसमिसन लाईन के निर्माण के लिए वन विभाग के गांव पूगल में 3.1588 हेक्टेयर वन भूमि , भनिपुरा में 3.7895 हेक्टेयर वन भूमि एवं पहलवान का बेरा में 2.5468 हेक्टेयर वन भूमि के विपथन प्रस्ताव को बैठक में सर्वसम्मति से पारित किया गया ।

Executive Engineer (T&C)
RRVPL, Bikaner

उपखण्ड अधिकारी
पूगल

20.6.16

ग्राम सभा अनुज्ञा

ग्राम सभा : पूगल
गाँव : पूगल
दिनांक : 20/05/2016

राजस्थान राज्य में 132 केवी एस/सी नौखा दहीया से खॉजुवाला ट्रांसमिशन लाईन का निर्माण हेतु राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, बीकानेर द्वारा आयोजित की गई ग्राम सभा बैठक गाँव पूगल में सरपंच/ग्राम सेवक श्री/... हारका प्रसाद सोनी की अध्यक्षता तथा अन्य सदस्यों की उपस्थिति में अयोजित की गई। ग्राम सभा तथा ग्राम वन समिति सदस्यों की उपस्थिति में निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गई।

1. गैर वन उद्देश्य के लिए बीकानेर रेगुलेशन (इन्व(म)) वन विभाग के गाँव पूगल में 3.1588 हेक्टेयर वन भूमि के विपथन प्रस्ताव के संबंध में राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, बीकानेर द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन अर्थात् 132 केवी एस/सी नौखा दहीया से खॉजुवाला ट्रांसमिशन लाईन का निर्माण पर विस्तापूर्वक चर्चा की गई।
2. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के उद्देश्य तथा निहितार्थों पर गाँव समिति में प्रकट तथा अप्रकट तौर पर विचार-विमर्श किया गया।
3. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के संबंध में, अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के सभी खण्डों पर बैठक में विचार-विमर्श किया गया। विपथन हेतु प्रस्तावित 132 केवी एस/सी नौखा दहीया से खॉजुवाला ट्रांसमिशन लाईन ट्रांसमिशन लाईन का निर्माण के लिये है तथा कोई अनुसूचित जनजाति और आदिम निवासी, खेती, आवास, या अन्य किसी भी आजीविका के लिये इसका उपयोग नहीं कर रहा है तथा किसी अनुसूचित जनजाति और आदिम वनवासी को भूमि में कोई व्यक्तिगत वन अधिकार प्रदत्त नहीं किया गया है।

इसलिए गैर-वन उद्देश्य अर्थात् उपरोक्त लाईन बीकानेर Stage II घन विभाग के गाँव पूगल की वन भूमि के 3.1588 हेक्टेयर भूमि विपथन को बैठक में सर्वसम्मति से पारित किया गया।


सरपंच
ग्राम पंचायत, पूगल
पं. स. खॉजुवाला (बीकानेर)


सरपंच
ग्राम सेवक/ग्राम पंचायत, पूगल
पं. स. खॉजुवाला (बीकानेर)
ग्राम पंचायत
पूगल

जिला : बीकानेर

दिनांक 20/05/16

कार्यालय—ग्राम पंचायत पूगल पंचायत समिति खाजुवाला, जिला- बीकानेर

निवास:-

पूगल वार्ड नं- 9

पूराना बाजार, पूगल

द्वारका प्रसाद सोनी

संरपच पूगल

मों. 9509339601

क.स. 582/1/16

दिनांक 20/05/2016

पंचायत प्रस्ताव प्रति

दिनांक 05/05/2016 को आयोजित पादिकु वेंकट

सरपंच- द्वारका प्रसाद सोनी की अध्यक्षता में

होया गया- जिसमें उत्तराव. 2 में सर्वसम्मति

से उत्तराव. पारित किया गया कि:-

वेंकट के विद्युत बिजली की लाइन को लाउंड्री से खाजुवाला

ले जाई जा रही है इस संबंध में न्यूनिकी गड्डी कि क्षेत्र में

जगजाति, अनुसूचित जाति व आदिवासी या कमजोरी

की आधिकारिक हेतु प्रयोग नहीं करे जा रहा है इसलिए

वक्त उद्देश्य उपयुक्त लाइन के निर्माण के लिए वेंकट में

सर्व सम्मति से पारित किया गया

उपरोक्त उत्तराव. ग्राम पंचायत वि पादिकु वेंकट

में सर्वसम्मति से पारित किया गया है। एके गांव




पंचायत के कार्यालयी रजिस्ट्रार में दर्ज है।



सरपंच
ग्राम पंचायत, पूगल
पं. स. खाजुवाला (बीकानेर)


सरपंच
ग्राम पंचायत, पूगल
पं. स. खाजुवाला (बीकानेर)

विशेष ग्राम सभा

दिनांक 12/11/16 को आयोजित पांडिवाक बैठक
 सचिव श्री हाका प्रसाद सोनी की अध्यक्षता में
 किया गया जिसमें प्रस्ताव सं. - 2 रखा गया
 जिस में विद्युत विकास की लान 132 के वी
 नोखा देया - खापूवाला गुजर रही है इस संदर्भ में
 चर्चा की गई की क्षेत्र में जनजाति, अनुसूचित
 जनजाति व आदिवासी का अन्य किसी भी विकास
 हेतु सयोग नहीं किया जा रहा है इसलिये वन
 विभाग उपयुक्त लान के निर्माण के लिये
 बैठक में सर्व सहमति से करार किया जाता
 है।

- | | | | |
|----|------------------|--------------------|---|
| 1. | हाका प्रसाद सोनी | सचिव (ग्राम) | हाका प्रसाद सोनी |
| 2. | गणेश लाल | ग्राम लीवर (ग्राम) |  |
| 3. | रविन्द्र सिंह | JEN (RRVPNL) | Raninder Singh |
| 4. | रामसिंह | ग्राम प्रजारी |  |
| 5. | कमिष्ठ कुमार | रीजर |  |


 Executive Engineer (T&C)
 RRVPNL, Bikaner

ग्राम सभा अनुज्ञा

ग्राम सभा : अमरपुरा
गाँव : शानीपुरा व रामसर
दिनांक : 20/05/16

राजस्थान राज्य में 132 केवी एस/सी नौखा दहीया से खॉजुवाला ट्रांसमिशन लाईन का निर्माण हेतु राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, बीकानेर द्वारा आयोजित की गई ग्राम सभा बैठक गाँव अमरपुरा में सरपंच/ग्राम सेवक श्री/पूजा देवी की अध्यक्षता तथा अन्य सदस्यों की उपस्थिति में अयोजि की गई। ग्राम सभा तथा ग्राम वन समिति सदस्यों की उपस्थिति में निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गई।

1. गैर वन उद्देश्य के लिए शीलानेर वन विभाग के गाँव शानीपुरा में 3.7895 हेक्टेयर वन भूमि के विपथन प्रस्ताव के संबंध में राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, बीकानेर द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन अर्थात् 132 केवी एस/सी नौखा दहीया से खॉजुवाला ट्रांसमिशन लाईन का निर्माण पर विस्तापूर्वक चर्चा की गई।
2. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के उद्देश्य तथा निहितार्थों पर गाँव समिति में प्रकट तथा अप्रकट तौर पर विचार-विमर्श किया गया।
3. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के संबंध में, अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के सभी खण्डों पर बैठक में विचार-विमर्श किया गया। विपथन हेतु प्रस्तावित 132 केवी एस/सी नौखा दहीया से खॉजुवाला ट्रांसमिशन लाईन का निर्माण के लिये है तथा कोई अनुसूचित जनजाति और आदिम निवासी, खेती, आवास, या अन्य किसी भी आजीविका के लिये इसका उपयोग नहीं कर रहा है तथा किसी अनुसूचित जनजाति और आदिम वनवासी को भूमि में कोई व्यक्तिगत वन अधिकार प्रदत्त नहीं किया गया है।

इसलिए गैर-वन उद्देश्य अर्थात् राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के लिए शीलानेर वन विभाग के गाँव शानीपुरा व रामसर की वन भूमि के 3.7895 हेक्टेयर भूमि विपथन को बैठक में सर्वसम्मति से पारति किया गया।

पूजा देवी
सरपंच
ग्राम सेवक/सरपंच
ग्राम पंचायत
अमरपुरा

जिला : बीकानेर

दिनांक 20/05/16



कार्यालय ग्राम पंचायत - अमरपुरा

पंचायत समिति, चाणूवाजा (राजस्थान)

पुजा देवी
सरपंच
ग्राम पंचायत - अमरपुरा
मो. 9352965210

क्रमांक : ग्रा.प./अमरपुरा/16-415

दिनांक 05/05/2016

पंचायत हस्ताव प्रती

दिनांक 05/05/2016 को आयोजित पब्लिक वॉटर सरपंच
श्रीमती पुजा देवी की अध्यक्षता में किया गया
जिसमें हस्ताव सं. 11 में सर्वसम्मति से हस्ताव
पारित किया गया

वॉटर में विद्युत विभागा की लाइन नॉरवा देखा से
स्वातंत्र्यवाला ली जाई जा रही है इस संबंध में चर्चा
की गई कि क्षेत्र में जनमत, अनुसूचित जात जाति व आदिवासी
या अन्य किसी भी आति विडा हेतु प्रयोजन नहीं
किया जा रहा है इसलिए वन उपेक्ष्य उपयुक्त
लाइन के निर्माण के लिए वॉटर में सर्वसम्मति
से पारित किया गया।

उपरोक्त हस्ताव ग्राम पंचायत के पब्लिक वॉटर
में सर्वसम्मति से पारित किया गया है। एवं ग्राम
पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में दर्ज है।

पुजा देवी

ग्राम सेवक / सरपंच
अमरपुरा

ग्राम सभा

प्रस्ताव संख्या - (1) -

आज दिनांक 20/5/16 को ग्राम सभा में प्रस्ताव रखा गया। जिसमें अधिशाही अभियन्ता ERVPNL-9 राराविप्रनिधि बीकानेर द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा गया है। इस प्रस्ताव पर सभा में उपस्थित सभी सदस्यों ने विचार विमर्श किया। तथा उस शर्त के साथ सहमति प्रदान की कि लाइन को उस तरह से निकाला जाये कि रास्ते में आने वाली दारियाँ, झोपडियाँ, घरों, डिग्गीयाँ, बलाकों आदि का ध्यान रखा जायेगा कि मानव जीवन को कोई नुकसान न हो। जिस गिरी के खेत से होकर लाइन गुजर रही है उस कारखाने को निश्चयानुसार उचित मुआवजा (फसल का) भी दिया जायेगा। (तत्पश्चात् ही उपरोक्त कथित लाइन निकाली जावे।)

प्रस्ताव सर्व सहमति से पारित किया गया।

- | | | | |
|---|---------------|-------------|-----------|
| 1 | पूजा देवी | सरपंच | पूजा देवी |
| 2 | रविन्द्र सिंह | JEN (RRVNL) | राजेश |
| 3 | पैपाराम | | पैपाराम |
| 4 | सुरेश | रैंजर | Suresh |
| 5 | चन्दन सिंह | ग्राम सेवक | चन्दन |



Executive Engineer (T&C)
ERVPNL, Bikaner

कार्यवृत्त पुस्तक (कार्यवाही रजिस्टर)

ग्राम पंचायत अमरपुरा

पंचायत समिति (बाजूवाला)

जिला परिषद बीकानेर

वर्ष 20 16

दिनांक	उपस्थिति सदस्यगण	कार्यवाही विवरण मय प्रस्ताव एवं लिए गए निर्णय	हस्ताक्षर उपस्थित सदस्य 1. कार्यवाही विवरण/पढ़कर/सुनाकर हस्ताक्षर 2. उक्त विवरण पंक्ति संख्या.....से..... तक सचिव ग्राम पंचायत द्वारा लिखा जाव किए गए।
20/5/2016		आज दिनांक 20/5/2016 को ग्राम पंचायत अमरपुरा की पाश्चिम बैंक का आयोजन सत्र की गयी पुजा देवी की महमथता में की गई।	पुजा देवी उपस्थित
1	श्री. मती पुजा देवी सापेय		
2	अमरपुरा W-1		
3	अबीम W-6	प्रस्ताव संख्या-01 सर्व प्रथम गांव पाश्चिम बैंक जो	
4	पेम्पापम W-9 (अबीम)	कोरम के अभाव में खोजी की गई है प्रष्ट	अबीम
5	सोनीमिह W-7	सर्व-सम्मति से की गई।	
6	राजूम W-10		पेम्पापम
7	मती देवी W-	प्रस्ताव संख्या-020 उपसत्रपच की पेम्पापम में बैंक	
8	चावली देवी W-	में निष्क प्रस्ताव रहे।	
9	श्री. अमरपुरा देवी W-	1) धीला शणी की आबादी लगभग 600 है तथा	
10	उमरपुरा W-4	संगणक 70 मकान है परन्तु आज तक	अबीम पेम्पापम
		धीला शणी राजस्व आज घोषित नहीं है जिससे	

ग्राम सभा अनुज्ञा

ग्राम सभा : पहलवान का बैरा

गाँव : पहलवान का बैरा

दिनांक : 05/05/16

राजस्थान राज्य में 132 केवी एस/सी नौखा दहीया से खॉजुवाला ट्रांसमिशन लाईन का निर्माण हेतु राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, बीकानेर द्वारा आयोजित की गई ग्राम सभा बैठक गाँव पहलवान का बैरा में सरपंच/ग्राम सेवक श्री/प्रकाश सिंह राठौर की अध्यक्षता तथा अन्य सदस्यों की उपस्थिति में अयोजित की गई। ग्राम सभा तथा ग्राम वन समिति सदस्यों की उपस्थिति में निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गई।

1. गैर वन उद्देश्य के लिए बीकानेर व हल्द्वार डिविजन वन विभाग के गाँव पहलवान का बैरा में 2.5468 हेक्टेयर वन भूमि के विपथन प्रस्ताव के संबंध में राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, बीकानेर द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन अर्थात् 132 केवी एस/सी नौखा दहीया से खॉजुवाला ट्रांसमिशन लाईन का निर्माण पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।
2. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के उद्देश्य तथा निहितार्थों पर गाँव समिति में प्रकट तथा अप्रकट तौर पर विचार-विमर्श किया गया।
3. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के संबंध में, अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के सभी खण्डों पर बैठक में विचार-विमर्श किया गया। विपथन हेतु प्रस्तावित 132 केवी एस/सी नौखा दहीया से खॉजुवाला ट्रांसमिशन लाईन ट्रांसमिशन लाईन का निर्माण के लिये है तथा कोई अनुसूचित जनजाति और आदिम निवासी, खेती, आवास, या अन्य किसी भी आजीविका के लिये इसका उपयोग नहीं कर रहा है तथा किसी अनुसूचित जनजाति और आदिम वनवासी को भूमि में कोई व्यक्तिगत वन अधिकार प्रदत्त नहीं किया गया है।

इसलिए गैर-वन उद्देश्य अर्थात् राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के लिए बीकानेर व हल्द्वार डिविजन वन विभाग के गाँव पहलवान का बैरा की वन भूमि के 2.5468 हेक्टेयर भूमि विपथन को बैठक में सर्वसम्मति से पारित किया गया।


सरपंच
ग्राम पंचायत, पहलवान का बैरा
ग्राम सेवक/सखीचमाला
ग्राम पंचायत
पहलवान का बैरा

जिला : बीकानेर

दिनांक 05/05/16

कार्यालय-ग्राम पंचायत पूगल

पंचायत समिति पहलवान का बेरा, जिला- बीकानेर

प्रभु सिंह

सरपंच

ग्राम पंचायत - पहलवान का बेरा

मो. 9252471612

क्रमांक : प्रा.पं./11-17/429

दिनांक 20/5/16

पंचायत प्रस्ताव पत्र

दिनांक 24/4/16 को आयोजित पाहिल बैठक की कार्यवाही सरपंच महोदय श्री प्रभु सिंह की अध्यक्षता में सम्पन्न की गयी जिसमें विद्युत लाइन के प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से पास किया गया। विद्युत लाइन जो कि मोरवा-बैरा में खोखाला जा रही है, उस लाइन के कोठे की भूमि का किसी प्रकार की जनजाति, अनुसूचित जनजाति, आदिवासी या अन्य किसी आधिकार के तहत प्रयोग नहीं किया जा रहा है। अतः यह उद्देश्य उपरोक्त लाइन के निर्माण के लिये बैठक द्वारा प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया।

ग्राम सभा की बैठक कार्यवाही रजिस्टर में दर्ज की गयी।

प्रभु सिंह

सरपंच

ग्राम पंचायत-पहलवान का बेरा

विशेष ग्राम सभा

आज दिनांक 5/5/16 को पादिक बैठक का आयोजन किया गया जिसके अध्यक्ष प्रभूसिंह राठौड़ रहे। जिसमें विद्युत विभाग की लाइन नौखा देया से खापूवाला में वन भूमि के सम्बन्ध में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई की क्षेत्र में अनुसूचित जाति, जनजाति व आदिवासी या अन्य किसी भी आधिकारिक हेतु प्रयोग नहीं किया जा रहा है। इसलिये वन उद्देश्य उपरोक्त लाइन के निर्माण के लिये बैठक में सर्व सहमति से पारित किया गया।

Executive Engineer (T&C)
BRVPL, Bikaner

~~पुष्प~~

जनत

हुएक

हनीक खाँ

बलाराम

Ranindus.

बैठक की कार्यवाहियों का रजिस्टर

पंचायत/उप समिति खाजुवाला / पदीबात न. बेरा जिला सीलानेर (राज.) वर्ष 2016

1	2	3	4	5	6
बैठक होने की दिनांक	बैठक का स्थान	अध्यक्ष/सरपंच के नाम	उपस्थित सदस्यों के नाम	बैठक में की गई कार्यवाहियाँ	बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर
5/5/16	दुपस्वारछा केन्द्र	उन्मुख सिंह	जनत मुस्ताक हनिफा तौला राम	आज दिनांक 5/5/16 को पश्चिम बैठक का आयोजन किया गया जिसके अध्यक्ष उन्मुख सिंह शहोड़ रहे। जिसमें निम्नीलिखित प्रस्ताव लिये गये। ग्राम सभा में विद्युत विभाग की लाईन नोख से खाजुवाला में वनखुमी के सम्बन्ध में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई जो क्षेत्र में जन जाति अनुसुचित जन जाति व आदिप निवासी मा अन्य विधवा गरी आजीविका हेतु उपयोग नहीं किया जा रहा है। इसलिये वन उपदेश उपरोक्त लाईन के निर्माण के लिये बैठक में सर्व-सम्मति से पारित किया गया।	जनत मुस्ताक हनिफा तौला राम

राजु

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला जिला बीकानेर

क्रमांक:- एसडीओ / खाजूवाला / 2016 / 975

दिनांक:- 11/7/16

आज दिनांक 01/07/2016 को उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक आहूत की गई जिसमें वन क्षेत्र में पड़ने वाले 132 केवी एस/सी नोखा देया - खाजूवाला ट्रांसमिसन लाईन के निर्माण के लिए ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव के आधार पर उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव को निम्ननुसार सर्वसम्मति से पारित किया जाता है।

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारियों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (2) के एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उक्त प्रस्तावित वन भूमि पर कोई दावे लम्बित नहीं हैं तथा कोई अनुसूचित जनजाति और आदिम निवासी खेती, आवास या अन्य किसी भी आजीविका के लिए इसका उपयोग नहीं कर रहा है तथा किसी अनुसूचित जनजाति और आदिम निवासी को भूमि में कोई व्यक्तिगत वन अधिकार प्रदत्त नहीं किया गया है इसलिए 132 केवी एस /सी नोखा देया- खाजूवाला ट्रांसमिसन लाईन के निर्माण के लिए वन विभाग के गांव बैरियावाली की 2.341 हेक्टर वन भूमि, माधोडिग्गी की 11.4056 हेक्टर वन भूमि एवं 2 ए.डि.एम. की 12.1874 हेक्टर वन भूमि के विपथन प्रस्ताव को जिला स्तरीय समिति को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
खाजूवाला
खाजूवाला

(सदस्य)

हनुमान बिशनोई
क्षेत्रीय वन अधिकारी
बैरियावाली (खाजूवाला)

(सदस्य)

विपुल आठवा
सरपंच
ग्रा.पं. बैरियावाला (खाजूवाला)
पं.स. खाजूवाला (बीकानेर)

क्षेत्रीय वन अधिकारी
सहायक वन अधिकारी
खाजूवाला

(सदस्य)

विकास अधिकारी
खाजूवाला

विषय : -- 132 केवी एस /सी नोखा दैया- खाजूवाला ट्रांसमिसन लाईन के निर्माण हेतु गांव बैरियावाली, माधोडिग्गी एवं 2 ए.डि.एम. की वन भूमि के विपथन के संबंध में आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण

राजस्थान राज्य विधुत प्रसारण निगम द्वारा 132 केवी एस /सी नोखा दैया- खाजूवाला ट्रांसमिसन लाईन के निर्माण हेतु तहसील पूगल के गांव बैरियावाली में 2.341 हेक्टेयर वन भूमि , माधोडिग्गी में 11.4056 हेक्टेयर वन भूमि एवं 2 ए.डि.एम. में 12.1874 हेक्टेयर वन भूमि के विपथन प्रस्ताव के संबंध में दिनांक 01/07/2016 को उपखण्ड कार्यालय में बैठक का आयोजन रखा गया जिसमें उपखण्ड अधिकारी चेयरपर्सन एवं निम्न सदस्यगण उपस्थित रहे ।

1. विकास अधिकारी, खाजूवाला
2. सहायक वन संरक्षक/क्षेत्रीय अधिकारी
3. श्री प्रह्लाद तिवारी, PS- सदस्य
4. श्री विपुल ज्योषी ; संरक्षक खाजूवाला
5. बाभ्रभुभार तैरवाल PS सदस्य
- 6.
- 7.
- 8.

बैठक कार्यवाही आरम्भ किये जाने के परचात गौर वन उददेशाय के लिए बीकानेर टेरिटोरियल वन विभाग के गांव बैरियावाली में 2.341 हेक्टेयर वन भूमि , माधोडिग्गी में 11.4056 हेक्टेयर वन भूमि एवं 2 ए.डि.एम. में 12.1874 हेक्टेयर वन भूमि के विपथन प्रस्ताव के संबंध में राजस्थान राज्य विधुत प्रसारण निगम लिमिटेड , बीकानेर द्वारा प्रस्तुत किये गये केस अर्थात 132 केवी एस /सी नोखा दैया- खाजूवाला ट्रांसमिसन लाईन के निर्माण पर तथा ग्राम सभा अनुज्ञानाओ का अवलोकन किया जाकर विपथन प्रस्ताव के उददेशाय के संबंध में विस्तारपूर्वक चर्चा की गई । उक्त प्रस्ताव के संबंध अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के सभी खण्डों पर बैठक में विचार विमर्श किया गया । उक्त वन भूमियों का विपथन प्रस्तावित 132 केवी एस /सी नोखा दैया- खाजूवाला ट्रांसमिसन लाईन के निर्माण के संबंध में किया जाना है तथा कोई अनुसूचित जनजाति और आदिम निवासी ,खेती आकास या अन्य किसी भी आजीविका के लिए इसका उपयोग नहीं कर रहा है तथा किसी अनुसूचित जनजाति और आदिम वनवासी को भूमि में कोई व्यक्तिगत वन अधिकार प्रदत्त नहीं किया गया है इसलिए गौर - वन उददेशाय 132 केवी एस /सी नोखा दैया- खाजूवाला ट्रांसमिसन लाईन के निर्माण के लिए वन विभाग के गांव बैरियावाली में 2.341 हेक्टेयर वन भूमि , माधोडिग्गी में 11.4056 हेक्टेयर वन भूमि एवं 2 ए.डि.एम. में 12.1874 वन भूमि के विपथन प्रस्ताव को बैठक में सर्वसम्मति से पारित किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
खाजूवाला

ग्राम सभा अनुज्ञा

ग्राम सभा : खोजुवाला
गाँव : बैरियावाली
दिनांक : 20/05/2016

राजस्थान राज्य में 132 केवी एस/सी नौखा दहीया से खोजुवाला ट्रांसमिशन लाईन का निर्माण हेतु राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, बीकानेर द्वारा आयोजित की गई ग्राम सभा बैठक गाँव खोजुवाला में सरपंच/ग्राम सेवक श्री/श्री विपुल खोजुवाली की अध्यक्षता तथा अन्य सदस्यों की उपस्थिति में आयोजित की गई। ग्राम सभा तथा ग्राम वन समिति सदस्यों की उपस्थिति में निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गई।

1. गैर वन उद्देश्य के लिए खोजुवाला वन विभाग के गाँव बैरियावाली में 2.341 हेक्टेयर वन भूमि के विपथन प्रस्ताव के संबंध में राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, बीकानेर द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन अर्थात् 132 केवी एस/सी नौखा दहीया से खोजुवाला ट्रांसमिशन लाईन का निर्माण पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।
2. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के उद्देश्य तथा निहितार्थों पर गाँव समिति में प्रकट तथा अप्रकट तौर पर विचार-विमर्श किया गया।
3. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के संबंध में, अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के सभी खण्डों पर बैठक में विचार-विमर्श किया गया। विपथन हेतु प्रस्तावित 132 केवी एस/सी नौखा दहीया से खोजुवाला ट्रांसमिशन लाईन ट्रांसमिशन लाईन का निर्माण के लिये है तथा कोई अनुसूचित जनजाति और आदिम निवासी, खेती, आवास, या अन्य किसी भी आजीविका के लिये इसका उपयोग नहीं कर रहा है तथा किसी अनुसूचित जनजाति और आदिम वनवासी को भूमि में कोई व्यक्तिगत वन अधिकार प्रदत्त नहीं किया गया है।

इसलिए गैर-वन उद्देश्य अर्थात् राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के लिए खोजुवाला वन विभाग के गाँव बैरियावाली की वन भूमि के 2.341 हेक्टेयर भूमि विपथन को बैठक में सर्वसम्मति से पारित किया गया।

ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव
ग्राम पंचायत खोजुवाला
प.स. खोजुवाला (बीकानेर)

विपुल खोजुवाली
सरपंच
गा.स. बैरियावाली/खोजुवाला
ग्राम सेवक/सहस्रचूवाली
ग्राम पंचायत
खोजुवाला

जिला : बीकानेर

दिनांक 20/05/16

कार्यालय-ग्राम पंचायत खाजूवाला

पंचायत समिति बेरियावाली, जिला- बीकानेर

विपुल जयाणी

सरपंच

ग्राम पंचायत - बेरियावाली

भा. 9571917107

क्रमांक : ग्रा.पं./2016/580

दिनांक...20-05-2016

पंचायत प्रस्ताव पत्र

दिनांक 05-05-2016 को आयोजित पाक्षिक बैठक सरपंच श्री विपुल जयाणी की अध्यक्षता में किया गया जिसमें प्रस्ताव संख्या 01 में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि -

बैठक में विद्युत बिजली की लाइन नोकरा देवा से खाजूवाला ले जाई जा रही है, इस सम्बन्ध में चर्चा की गई कि क्षेत्र में जनजाति, अनुसूचित जनजाति व आदिवासी या अन्य किसी भी आजीविका हेतु प्रयोग नहीं किया जा रहा है, इसलिए वन उद्देश्य उपयुक्त लाइन के निर्माण के लिए बैठक में सर्वसम्मति से पारित किया गया।

उपरोक्त प्रस्ताव ग्राम पंचायत की पाक्षिक बैठक में सर्वसम्मति से पारित किया गया है; एवं ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में दर्ज है।

विपुल जयाणी
सरपंच / सरपंच
ग्राम पंचायत...बेरियावाली

विशेष ग्राम सभा

आज दिनांक 20/05/16 को प्रातः 10 बजे ग्राम पंचायत स्वाजुवाला की ग्राम सभा बैठक का आयोजन सरपंच श्रीमति विपुल जागी की अध्यक्षता में की गई। सरपंच श्रीमति विपुल जागी ने प्रस्ताव रखा की ग्राम पंचायत क्षेत्र में 132 के वी एच एस सी नोबोदेय स्वाजुवाला ट्रांसमिशन लाइन गुजर रही है। इस विद्युत लाइन जिन-जिन खेतों में गुजर रही है यदि ग्राम नागरिक को कोई आपत्ति हो तो हलचल हो तो ग्राम सभा में पेश करे। ग्राम सभा में उपस्थित नागरिकों व वन विभाग की को इस विद्युत लाइन के गुजरने से कोई आपत्ति नहीं है। अतः ग्राम सभा द्वारा विचार विमर्श करने के बाद पुराना अवसमिति से पारित हुए अनुशा पत्र जारी किया जाता है।

अतः ही ग्राम सभा में निम्न लिखित जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, अधिकारी और नागरिक, इत्यादि उपस्थित रहे।

क्र.सं	नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
(1)	श्री विपुल जागी	सरपंच	विपुल जागी (सरपंच स्वाजुवाला)
(2)	श्री बालू राय	ग्राम सचिव एच प डेप्ट सचिव	बालू राय

इस नाम पर प्रतिक्रिया, कर्मचारी	पद	हस्ताक्षर
(एक अधिकारी)		
5. श्री. लिखाराम	वाइस च	लीखाराम
(6) श्री. गिरी शम्भू	वाइस च	सन्ध
(7) श्री. गिरी रोशन	वाइस च	रीशनी
(8) श्री. मंगल कुमार	A NM.	शुभर
व. श्री. गिरी केशव आचार्य	AWM	गणेश
19. श्री. गिरी शम्भू काका	अध्यक्ष	शम्भू
10. इन्द्रा (आर. एस. एस. पी. आर)	आर. एस. एस. पी. आर	इन्द्रा देवी
11. आर. एस. एस. पी. आर	आर. एस. एस. पी. आर	आर. एस. एस. पी. आर
12. सुशीला	सहायिका	सुशीला
13. सुशीला किशोर शर्मा	च. व. व. व. व.	सुशीला
14. सुशीला किशोर शर्मा	च. व. व. व. व.	सुशीला
सुशीला किशोर शर्मा	च. व. व. व. व.	सुशीला
16. सुशीला किशोर शर्मा	च. व. व. व. व.	सुशीला
17. सुशीला किशोर शर्मा	च. व. व. व. व.	सुशीला

बैठक की कार्यवाहियों का रजिस्टर ⁹²

पंचायत/उप समिति खाजूवाला (बेरियावाली) बेंच जिला बीकानेर (राज.) वर्ष 2016

बैठक होने की दिनांक	बैठक का स्थान	अध्यक्ष/सरपंच के नाम	उपस्थित सदस्यों के नाम	बैठक में की गई कार्यवाहियाँ	बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
20/5/16	बेरियावाली	विपुल ज्याषी		<p>आज दिनांक 20/5/16 को प्रातः 10:05 बजे ग्राम सभा का आयोजन विपुल ज्याषी की अध्यक्षता में किया गया। जिसमें विद्युत की नौरवा देया से खाजूवाला जा रही हाई टेंशन लाइन के विषय में चर्चा की गई।</p> <p>ग्राम सभा में उपस्थित सभी सदस्यों की सहमति के साथ प्रस्ताव को सर्व सहमति से पारित किया गया।</p>	

विपुल ज्याषी
 सरपंच (खाजूवाला)

ग्राम सभा अनुज्ञा


ग्राम सभा : माधोडिग्गी
 गाँव : माधोडिग्गी (13K.J.D.)
 दिनांक : 06/05/16

राजस्थान राज्य में 132 केवी एस/सी नौखा दहीया से खॉजुवाला ट्रांसमिशन लाईन का निर्माण हेतु राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, बीकानेर द्वारा आयोजित की गई ग्राम सभा बैठक गाँव माधोडिग्गी में सरपंच/ग्राम सेवक श्री/श्रीमती/श्रीता देवी की अध्यक्षता तथा अन्य सदस्यों की उपस्थिति में अयोजित की गई। ग्राम सभा तथा ग्राम वन समिति सदस्यों की उपस्थिति में निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गई।

1. गैर वन उद्देश्य के लिए ~~राजस्थान रिजर्वेशन~~ वन विभाग के गाँव माधोडिग्गी 11.4056 हेक्टेयर वन भूमि के विपथन प्रस्ताव के संबंध में राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, बीकानेर द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन अर्थात् 132 केवी एस/सी नौखा दहीया से खॉजुवाला ट्रांसमिशन लाईन का निर्माण पर विस्तापूर्वक चर्चा की गई।
2. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के उद्देश्य तथा निहितार्थों पर गाँव समिति में प्रकट तथा अप्रकट तौर पर विचार-विमर्श किया गया।
3. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के संबंध में, अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के सभी खण्डों पर बैठक में विचार-विमर्श किया गया। विपथन हेतु प्रस्तावित 132 केवी एस/सी नौखा दहीया से खॉजुवाला ट्रांसमिशन लाईन का निर्माण के लिये है तथा कोई अनुसूचित जनजाति और आदिम निवासी, खेती, आवास, या अन्य किसी भी आजीविका के लिये इसका उपयोग नहीं कर रहा है तथा किसी अनुसूचित जनजाति और आदिम वनवासी को भूमि में कोई व्यक्तिगत वन अधिकार प्रदत्त नहीं किया गया है।

इसलिए गैर-वन उद्देश्य अर्थात् ~~राष्ट्रीय राजमार्ग~~ के निर्माण के लिए ~~राजस्थान रिजर्वेशन~~ वन विभाग के गाँव माधोडिग्गी की वन भूमि के 11.4056 हेक्टेयर भूमि विपथन को बैठक में सर्वसम्मति से पारित किया गया।


 ग्राम सेवक एवं पदेन
 ग्राम पंचायत माधोडिग्गी 13
 पंचायत समिति, खॉजुवाला

ग्राम सेवक /

 ग्राम पंचायत माधोडिग्गी 13 KJD
 ग्राम पंचायत समिति खॉजुवाला

जिला : बीकानेर

दिनांक 06/05/2016

कार्यालय-ग्राम पंचायत खाजूवाला

पंचायत समिति माधोडिग्गी (13 KJD)

गीता देवी

सरपंच

ग्राम पंचायत - माधोडिग्गी (13KJD)

मो. 8426833209

क्रमांक : ग्रा.पं./2016-2017/475

दिनांक 20/5/16

पंचायत प्रस्ताव प्रति

दिनांक 24/4/16 को आयोजित पब्लिक बैंक सरपंच
श्रीमति गीता देवी की अध्यक्षता में की गयी जिसमें
प्रस्ताव संख्या ① में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया कि-

विद्युत विभाग की लाइन नीखा देया से खाजूवाला जा
रही है, जिसके संदर्भ में पचायी की गयी कि लाइन के
क्षेत्र में जनजाति, अनुसूचित जनजाति, आदिवासी या अन्य
किसी की फिदिमा हेतु उपरोक्त नहीं किया जा रहा
इसलिये वर. इंदिरा उपग्रह केंद्रन के निर्माण के लिये
बैंक में सर्वसम्मति से पारित किया गया।

उपरोक्त प्रस्ताव ग्राम पंचायत की पब्लिक बैंक
में सर्वसम्मति से पारित किया गया, एवम ग्राम पंचायत
के कार्यवाही रजिस्टर में इन्द्राज किया गया।

गीता देवी

ग्राम सेवक/ सरपंच

ग्राम पंचायत माधोडिग्गी (13KJD)

विशेष ग्राम सभा

आज दिनांक 05-05-2016

को प्रातः 10:05 बजे राज्य सरकार एवं विकास अधिकारी पं.स. खाजूवाला के आदेशानुसार ग्राम उदय से भारत उदय अभियान के तृतीय चरण के अन्तर्गत ग्रामपंच. माधोडिगी के पंचायत भवन के सभागार में सरपंच महोदया जीमती गीता देवी की अध्यक्षता में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया है। आज कि इस विशेष ग्राम सभा में स्वच्छता कार्यक्रम, महानरेगा, मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन योजना, महिला सशक्तिकरण, केन्द्र एवं राज्य सरकार की ओर से चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं पर चर्चा की जायेगी। महानरेगा योजना वार्षिक कार्य योजना 2016-17 में अतिरिक्त कार्य सम्मिलित किये जायेंगे। प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की प्रगति का अनुमोदन किया जायेगा तथा ग्रामपंच. का प्रसाशनिक प्रतिवेदन (मासाशाह लाभ वितरण - बुक लेट) पढ़ी जायेगी। ग्रामपंच. में साधिन के चयन हेतु आवेदन लिखे जायेंगे तथा चयन किया जाना है, एवं ग्रामपंच. की विकास योजना पर चर्चा की जायेगी।

आज की ग्राम सभा में निम्न जन प्रतिनिधि, कर्मचारी, अधिकारी, आम एवं खास नागरिक उपस्थित रहे।

क्र.सं.	नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1	जीमती गीता देवी	सरपंच	गीता देवी
2.	श्री जंदसिंह	ग्राम सभा प्रभारी	

क्र.सं.	नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
3	जंदलाल	ग्राम सेवक	
4	जीकुशमजी	उपसरपंच नकुशम	
5	परमजीत कोर	वार्ड पंच चरमजीत	
6	कविता कुमारी	M.M.M. S/C माथोडिगी कविताकु	
7	जाजा देवी	आवासभोगनी जाजा	
8	हनुमानराज	हनुमानराज (वार्ड पंच (वार्ड पंच) बलराम	
9	बलराम	बलराम वार्ड पंच वार्ड न 7 आवासभोगनी माथोडिगी	
10	बाधु देवी	(वार्ड पंच) बाधु देवी	
11	परमजीत कोर	9K.5.7 आवासभोगनी कार्यकर्ता	परमजीत
12	परमजीत कोर	माथोडिगी आवासभोगनी पर	
13	गगनदीप बॉट	10 R 5.7 आवासभोगनी कार्यकर्ता	गगनदीप

बैठक की कार्यवाहियों का रजिस्टर १२

पंचायत/उप समिति खाखूवाला (माधौड़िजी) बैच जिला बीकानेर (राज.) वर्ष २०१६

बैठक होने की दिनांक	बैठक का स्थान	अध्यक्ष/सरपंच के नाम	उपस्थित सदस्यों के नाम	बैठक में की गई कार्यवाहियाँ	बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
5/5/16	खाखूवाला	गीता देवी		<p>दिनांक 5/5/16 को विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया। जिसमें विपुल विभागा की नौरवा बैरा से खाखूवाला लाइन के संदर्भ में विचार विमर्श कर प्रस्ताव को सर्व सहमति से पारित किया गया।</p> <p>विजली विभागा को ग्राम सभा अनुज्ञा पत्र जारी किया गया।</p>	गीता देवी

ग्राम सभा अनुज्ञा

ग्राम सभा : 2ADM
गाँव : 2BLD, 6PB
दिनांक : 20/05/16

राजस्थान राज्य में 132 केवी एस/सी नौखा दहीया से खॉजुवाला ट्रांसमिशन लाईन का निर्माण हेतु राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, बीकानेर द्वारा आयोजित की गई ग्राम सभा बैठक गाँव 2 ADM..... में सरपंच/ग्राम सेवक श्री/..... आयुकी..... की अध्यक्षता तथा अन्य सदस्यों की उपस्थिति में अयोजित की गई। ग्राम सभा तथा ग्राम वन समिति सदस्यों की उपस्थिति में निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गई।

1. गैर वन उद्देश्य के लिए ~~खॉजुवाला~~ इरिगेरियल वन विभाग के गाँव 2BLD, 6PB में 12-1874 हेक्टेयर वन भूमि के विपथन प्रस्ताव के संबंध में राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, बीकानेर द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन अर्थात् 132 केवी एस/सी नौखा दहीया से खॉजुवाला ट्रांसमिशन लाईन का निर्माण पर विस्तापूर्वक चर्चा की गई।
2. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के उद्देश्य तथा निहितार्थों पर गाँव समिति में प्रकट तथा अप्रकट तौर पर विचार-विमर्श किया गया।
3. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के संबंध में, अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के सभी खण्डों पर बैठक में विचार-विमर्श किया गया। विपथन हेतु प्रस्तावित 132 केवी एस/सी नौखा दहीया से खॉजुवाला ट्रांसमिशन लाईन ट्रांसमिशन लाईन का निर्माण के लिये है तथा कोई अनुसूचित जनजाति और आदिम निवासी, खेती, आवास, या अन्य किसी भी आजीविका के लिये इसका उपयोग नहीं कर रहा है तथा किसी अनुसूचित जनजाति और आदिम वनवासी को भूमि में कोई व्यक्तिगत वन अधिकार प्रदत्त नहीं किया गया है।

इसलिए गैर-वन उद्देश्य अर्थात् उपरोक्त लाईन राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के लिए खॉजुवाला इरिगेरियल वन विभाग के गाँव 2BLD, 6PB की वन भूमि के 12-1874 हेक्टेयर भूमि विपथन को बैठक में सर्वसम्मति से पारित किया गया।

आयुकी
सरपंच
ग्राम पंचायत, 2 ए.डी.एम.
पंचायत/ग्राम सेवक/सरपंच
ग्राम पंचायत
2 ADM

जिला : बीकानेर

दिनांक 20/05/16

कार्यालय-ग्राम पंचायत खाजूवाला

पंचायत समिति 2 एडीएम, जिला- बीकानेर

आयुकी
सरपंच
ग्राम पंचायत - 2एडीएम
भा. 9680320009

क्रमांक : ग्रा.पं. / 16/457

दिनांक 20/05/2016

पंचायत प्रस्ताव पत्र

दिनांक 05.05.2016 को आयोजित पाब्लिक बैठक संरपंच श्रीमती आयुकी की अध्यक्षता में की गई, जिसमें प्रस्ताव संख्या 01 में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि -

विशुद्ध विभाग की लाइन नोएवा देया से खाजूवाला जा रही है, जिसके सन्दर्भ में चर्चा की गई कि लाइन के क्षेत्र में जनजाति, अनुसूचित जनजाति; आदिवासी या अन्य क्षेत्र किसी भी जलिका क्षेत्र उपयोग नहीं किया जा रहा है। इसलिए वन उद्देश्य उपयुक्त लाइन के निर्माण के लिए बैठक में सर्वसम्मति से पारित किया गया।

अतः, प्रस्ताव ग्राम पंचायत की पाब्लिक बैठक में सर्वसम्मति से पारित किया गया, एवं ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में दर्ज किया गया।

आयुकी
ग्राम सेवक / सरपंच
ग्राम पंचायत-2016

आज दिनांक 25/11/16 को पाकिस्तान बैंक का आयोजन
किया गया जिसमें विजली विभाग की लाइन
गैरला दैशा से खासूवाला जा रही लाइन के
प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया।
उपरोक्त लाइन जिस क्षेत्र से गुजर रही है
उस क्षेत्र का उपयोग अनुसूचित जाति,
जनजाति, आदिवासी व अन्य किसी जिविका
के लिए नहीं किया जा रहा है।
इसलिए वन उद्देश्य उपरोक्त लाइन के लिए
बैंक में प्रस्ताव सर्व सहमति से पारित
किया गया।


सहस्रसिंह

Ranikhet.

विभाग

Ranikhet.

Ranikhet.


Executive Engineer (Gen.)
RRVNL, Bikaner

बैठक की कार्यवाहियों का रजिस्टर

पंचायत समिति 2016
 बैठक 20/05/2016 गिला खीजरे (राज.) वर्ष 2016

बैठक होने की दिनांक	बैठक का स्थान	अध्यक्ष/सचिव के नाम	उपस्थित सदस्यों के नाम	बैठक में की गई कार्यवाहियाँ	बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
5.5.16	पंचायत सभल	आयसी	राजा	आज दिनांक 5.5.2016 को सभल परमेश्वरी की उदरगत से ग्राम पंचायत की पारिक बैठक का आयोजन किया गया आज की बैठक में विद्युत विभागा की लाईन जोरवा देवा से खोजुवाला से बन भुमी के सम्बन्ध में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई जोज में बन जा जा हि अनुसूचित जन जाति व आदिवासी व अन्य डिजीमी आजीवीडा हेतु प्रयोग पनी किया जा रहा है व पारिक बन उदरगत उपयुक्त लाईन के निर्माण के लिए बैठक में सभी सम्बन्धित पारिक विधायक	राजा

महेश सिंह
 ग्राम सचिव एवं पदेन सचिव
 ग्राम पंचायत 2016
 पंचायत समिति, खोजुवाला